



1640  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0452/O.A. No. 461/2024

दिनांक:-

Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg,  
New Delhi.  
E-mail-judicial-ngt@gov.in

**Sub:-** Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 461/2024, Sampurna Nand Vs Rajesh Bhai Patel.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 461/2024, Sampurna Nand Vs Rajesh Bhai Patel, the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

  
(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

  
Regional Officer  
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 461/2024 Sampurna Nand Versus M/s Rajesh Bhai Patel & Ors.


- UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers namely M/s Rajesh Bhai Patel, Arazi No 180/2, Bhagauti Dayi, Mirzapur vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024 (Annexure-1).
- The presentation sent by the industry against show-cause notice was not received as on dated 08.02.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra.
- UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	NO	As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking CTO. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyer belts.	Partially Covered	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	NO	
4.	Wind breaking wall around the premises.	Not situated in East Direction	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	NO	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	NO	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	NO	

- Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).
- The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has not received.

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024

  
04/05/2024

(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
U.P.P.C.B  
Sonbhadra



1642

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

सेवा में

H05686-K-2/NC-7-67/SCN/24

दिनांक

Date 12/1/24

पंजीकृत

M/S RAJESH BHAI PATEL,  
ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL PATHHATTA, CHUNAR,  
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/स्वाधिका के तहत (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित कस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके उद्योग/संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत् आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के सबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपन स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

Received

21/01/2024

Pushil - 9454135447

19-01-2024

Computer Operator

सेवा में,

क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी,  
उपप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ।

विषय:- आप द्वारा भेजे गये सो कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.01.2024 सन्दर्भ सं०- अस्पष्ट- 86 K-2 / NGT-67 / SCN / 24 का स्पष्टीकरण।  
स्पष्टीकरण बिन्दुवार मिनजानिब राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह निवासी ग्राम- रामरसही, अहरौरा जिला- मीरजापुर।

आप द्वारा भेजा गया उपरोक्त सन्दर्भित नोटिस दिनांक 12.01.2024 प्रार्थी को दिनांक 25.01.2024 को प्राप्त हुआ, जिसमें आप द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 180/2 मौजा भगौतीदेई, भगवत् पटिहटा, चुनार मिर्जापुर में स्टोन ग्रीड के उत्पादन हेतु उपरोक्त स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981ई० (यथा संशोधित) की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। जिसका निरीक्षक संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया, जिसमें यह पाया गया कि प्रार्थी का स्टोन ग्रीड के उत्पादन हेतु स्थापित संयंत्र को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किए गये निरीक्षक की आख्या में प्रार्थी के स्टोन ग्रीड इकाई के विरुद्ध (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा - 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति एवं कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जिसका स्पष्ट बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:-

1. यह कि आप द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के प्रस्तर (ग) का स्पष्टीकरण यह है कि प्रतिदिन मरम्मत कार्य होता है उसी समय थोड़े समय के लिए थोड़ा बहुत आंशिक कहीं-कहीं का कवर्ड एरिया से हटाकर सर्विस या मरम्मत, रख-रखाव आदि कार्य किया जाता है। पुनः संयंत्र शुरू करने से पहले विधिवत् ढककर जाँच कर तब संयंत्र को चलाया जाता है।
2. प्रस्तर (घ) का स्पष्टीकरण की कन्वेयर बेल्ट के सिरो पर टेलिस्कोपिक शूट स्थापित किया गया है। जो आप द्वारा लगाये गये फोटो में स्पष्ट दिख रहा है। प्रत्येक बेल्टो पर जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर छिड़काव प्रणाली स्थापित की गई है। जिसे संयंत्र इकाई चालू किये जाने के समय चलाया

राजेश

- जाता है, एवं संयंत्र बन्द होने पर बन्द कर दिया जाता है ताकि पानी की बर्बादी एक बूँद भी न हो सकें।
3. प्रस्तर (ई) का स्पष्टीकरण:— संयंत्र इकाई विद्युत से संचालित नहीं होता है।
  4. प्रस्तर (च) का स्पष्टीकरण:— हमार संयंत्र इकाई कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर खनिज अनुभाग पत्रांक— 40/खनिज—2016 दिनांक 04.01.2016 के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेकर ही संचालित किया गया है। चूँकि अब संयंत्र इकाई खनन स्थल पर ही पश्चिमी छोर पर स्थापित है, पूर्वी छोर पर खनन कार्य होता है, इसके कारण पूर्वी छोर का टिन शेड का उँचा दिवाल कभी—कभी आंशिक रूप से प्रभावित होने पर तत्काल मरम्मत करवा कर ठीक कर संचालित किया जाता है।
  5. प्रस्तर (छ) का स्पष्टीकरण:— उपरोक्त प्रस्तर (च) में स्पष्ट किया जा चुका है, जो कि खनन स्थल पहाड़ है, संयंत्र इकाई पहाड़ पर ही स्थापित होने से पहाड़ पत्थर की वजह से पेड़ लगाना सम्भव नहीं है। जिसका स्थलीय निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा हमेशा किया जा रहा है और भौगोलिक स्थिति से सक्षम अधिकारी परिचित है। फिर भी प्रार्थी ने संयंत्र के अगल—बगल पर्याप्त वृक्षारोपण किया है। इसके अलावा अन्य जगहो पर भी वृक्षा रोपण किया है। यहाँ तक की वन विभाग की मदद से वृक्षा रोपण करा कर जिओ टैग भी करवा दिया है। जिसका सही आकलन करने पर उँचाई के साथ—साथ 33 प्रतिशत से ज्यादा भूमि पर वृक्षारोपण हो चुका है। चूँकि प्रार्थी की संयंत्र इकाई पहाड़ पर ही स्थित होने पर भी प्रार्थी ने हरित पट्टिका लगाया है।
  6. प्रस्तर (ज) का स्पष्टीकरण:— प्रार्थी ने उपरोक्त प्रस्तर (छ) में ही यह स्पष्टीकरण दे दिया है कि कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर (खनिज अनुभाग) के आदेश के मुताबिक प्रार्थी की संयंत्र इकाई पहाड़ पर ही स्थापित है। इसकी वजह से प्रातः काल भोर में ही पानी का छिड़काव करके रास्ते का साफ किया जाता है। इसके बाद धातु (पहाड़) पर गाड़िया आती—जाती है। जिससे धूल नहीं उड़ता है।

२१/१२/२१

7. प्रस्तर (i) का स्पष्टीकरण:— प्रार्थी द्वारा संचालित 500 केवीए0 क्षमता वाला डीजल जनरेटर स्थापित है। जिसमें निकासी पाईप मानक के अनुरूप है।
8. प्रस्तर (j) का स्पष्टीकरण:— प्रार्थी के संयंत्र इकाई के स्थापित स्थल का बकायदा जाँच करके तब सी0टी0ओ0 जारी किया गया है, जो समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच किया जाता है, इसके पूर्व कभी भी किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं मिला है।
9. प्रस्तर (K) का स्पष्टीकरण:— सी0टी0ओ0 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सन्तोषजनक है, बाकी शर्तें यदि आंशिक रूप से अनुपालन हो रही है या कोई कमी है तो उसके लिए क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय सोनभद्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के 20 संचालित संयंत्र इकाईयों जो एन0जी0टी0 इत्यादि से प्रभावित न हो एवं उ0प्र0 के अलग-अलग जनपदों का कम से कम 25 संचालित संयंत्रों इकाईयों का स्थलीय अवलोकन कराकर प्रशिक्षित किया जाए जिससे संयुक्त समिति द्वारा दिये गये रिपोर्ट में जो कमी बताया जा रहा है उसका पूर्णतः पालन हो सकें।

अतः उपरोक्त प्रस्तर स्पष्टीकरण सन्दर्भित नोटिस पहले स्पष्ट— 86 K-2 / NGT-67 / SCN / 24 दिनांकित 12.01.2024 में गठित संयुक्त समिति के रिपोर्ट दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 में प्रार्थी के नाम जारी कारण बताओं नोटिस को दृष्टिगत रखते हुए संयंत्र इकाई आ0नं0- 180/2 स्थित भगौती देई चुनार मीरजापुर के बावत् उपरोक्त प्रस्तरवार स्पष्टीकरण स्वीकार कर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए सम्बन्धित विभाग को अवगत कराये जाने की कृपा करें।

दिनांक:— 07.02.2024

ह0प्रार्थी  
21/21

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (कृता-2)  
T.C. 12-V विश्वलिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ - 226010
2. जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर ।

सेवा में,

श्रीमान्

जिलाधिकारी महोदया, श्रीरजापुर

विषय:- आप द्वारा भेजे गये सो कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.01.2024 सन्दर्भ

सं०- अस्पष्ट- 86 K-2 / NGT-67 / SCN / 24 का स्पष्टीकरण।

स्पष्टीकरण बिन्दुवार मिनजानिब राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह निवासी  
 ग्राम- रामरसही, अहरौरा जिला- मीरजापुर।

आप द्वारा भेजा गया उपरोक्त सन्दर्भित नोटिस दिनांक 12.01.2024 प्रार्थी को दिनांक 25.01.2024 को प्राप्त हुआ, जिसमें आप द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 180/2 मौजा भगौतीदेई, भगवत् पटिहटा, चुनार मिर्जापुर में स्टोन ग्रीड के उत्पादन हेतु उपरोक्त स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981ई० (यथा संशोधित) की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। जिसका निरीक्षक संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया, जिसमें यह पाया गया कि प्रार्थी का स्टोन ग्रीड के उत्पादन हेतु स्थापित संयंत्र को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किए गये निरीक्षक की आख्या में प्रार्थी के स्टोन ग्रीड इकाई के विरुद्ध (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा - 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति एवं कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जिसका स्पष्ट बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:-

1. यह कि आप द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के प्रस्तर (ग) का स्पष्टीकरण यह है कि प्रतिदिन मरम्मत कार्य होता है उसी समय थोड़े समय के लिए थोड़ा बहुत आंशिक कहीं-कहीं का कवर्ड एरिया से हटाकर सर्विस या मरम्मत, रख-रखाव आदि कार्य किया जाता है। पुनः संयंत्र शुरू करने से पहले विधिवत् ढककर जाँच कर तब संयंत्र को चलाया जाता है।
2. प्रस्तर (घ) का स्पष्टीकरण की कन्वेयर बेल्ट के सिरो पर टेलिस्कोपिक शूट स्थापित किया गया है। जो आप द्वारा लगाये गये फोटो में स्पष्ट दिख रहा है। प्रत्येक बेल्टो पर जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर छिड़काव प्रणाली स्थापित की गई है। जिसे संयंत्र इकाई चालू किये जाने के समय चलाया

श्रीरज

जाता है, एवं संयंत्र बन्द होने पर बन्द कर दिया जाता है ताकि पानी की बर्बादी एक बूँद भी न हो सकें।

3. प्रस्तर (ई) का स्पष्टीकरण:— संयंत्र इकाई विद्युत से संचालित नहीं होता है।
4. प्रस्तर (च) का स्पष्टीकरण:— हमार संयंत्र इकाई कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर खनिज अनुभाग पत्रांक— 40/खनिज-2016 दिनांक 04.01.2016 के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेकर ही संचालित किया गया है। चूँकि अब संयंत्र इकाई खनन स्थल पर ही पश्चिमी छोर पर स्थापित है, पूर्वी छोर पर खनन कार्य होता है, इसके कारण पूर्वी छोर का टिन शेड का उँचा दिवाल कभी-कभी आंशिक रूप से प्रभावित होने पर तत्काल मरम्मत करवा कर ठीक कर संचालित किया जाता है।
5. प्रस्तर (छ) का स्पष्टीकरण:— उपरोक्त प्रस्तर (च) में स्पष्ट किया जा चुका है, जो कि खनन स्थल पहाड़ है, संयंत्र इकाई पहाड़ पर ही स्थापित होने से पहाड़ पत्थर की वजह से पेड़ लगाना सम्भव नहीं है। जिसका स्थलीय निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा हमेशा किया जा रहा है और भौगोलिक स्थिति से सक्षम अधिकारी परिचित है। फिर भी प्रार्थी ने संयंत्र के अगल-बगल पर्याप्त वृक्षारोपण किया है। इसके अलावा अन्य जगहो पर भी वृक्षा रोपण किया है। यहाँ तक की वन विभाग की मदद से वृक्षा रोपण करा कर जिओ टैग भी करवा दिया है। जिसका सही आकलन करने पर उँचाई के साथ-साथ 33 प्रतिशत से ज्यादा भूमि पर वृक्षारोपण हो चुका है। चूँकि प्रार्थी की संयंत्र इकाई पहाड़ पर ही स्थित होने पर भी प्रार्थी ने हरित पट्टिका लगाया है।
6. प्रस्तर (ज) का स्पष्टीकरण:— प्रार्थी ने उपरोक्त प्रस्तर (छ) में ही यह स्पष्टीकरण दे दिया है कि कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर (खनिज अनुभाग) के आदेश के मुताबिक प्रार्थी की संयंत्र इकाई पहाड़ पर ही स्थापित है। इसकी वजह से प्रातः काल भोर में ही पानी का छिड़काव करके रास्ते का साफ किया जाता है। इसके बाद धातु (पहाड़) पर गाड़िया आती-जाती है। जिससे धूल नहीं उड़ता है।

२५२१

7. प्रस्तर (i) का स्पष्टीकरण:- प्रार्थी द्वारा संचालित 500 केवीए0 क्षमता वाला डीजल जनरेटर स्थापित है। जिसमें निकासी पाईप मानक के अनुरूप है।
8. प्रस्तर (j) का स्पष्टीकरण:- प्रार्थी के संयंत्र इकाई के स्थापित स्थल का बकायदा जाँच करके तब सीटीओ0 जारी किया गया है, जो समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच किया जाता है, इसके पूर्व कभी भी किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं मिला है।
9. प्रस्तर (K) का स्पष्टीकरण:- सीटीओ0 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सन्तोषजनक है, बाकी शर्तें यदि आंशिक रूप से अनुपालन हो रही है या कोई कमी है तो उसके लिए क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय सोनभद्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के 20 संचालित संयंत्र इकाईयों जो एनजीटी0 इत्यादि से प्रभावित न हो एवं उ0प्र0 के अलग-अलग जनपदों का कम से कम 25 संचालित संयंत्रों इकाईयों का स्थलीय अवलोकन कराकर प्रशिक्षित किया जाए जिससे संयुक्त समिति द्वारा दिये गये रिपोर्ट में जो कमी बताया जा रहा है उसका पूर्णतः पालन हो सकें।

अतः उपरोक्त प्रस्तर स्पष्टीकरण सन्दर्भित नोटिस पहले स्पष्ट- 86 K-2 / NGT-67 / SCN / 24 दिनांकित 12.01.2024 में गठित संयुक्त समिति के रिपोर्ट दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 में प्रार्थी के नाम जारी कारण बताओं नोटिस को दृष्टिगत रखते हुए संयंत्र इकाई आनं0- 180/2 स्थित भगौती देई चुनार मीरजापुर के बावत् उपरोक्त प्रस्तरवार स्पष्टीकरण स्वीकार कर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए सम्बन्धित विभाग को अवगत कराये जाने की कृपा करें।

दिनांक:- 07.02.2024

ह0प्रार्थी

21/2/24

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
T.C. 12-V विभूतियण्ड गोमतीनगर लाजपूर -226010
2. क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ।



**क्षेत्रीय कार्यालय,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र**  
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD,  
SONBHADRA

संदर्भ सं० जी०००२ /०११०-५२/५४/२०२४

दिनांक-०८.०२.२०२४

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

**विषय:** मेसर्स राजेश भाई पटेल, आराजी नं०-१८०/२, ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१(यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६८६/सी-२/एन०जी० टी०-६७/एस०सी०एन०/२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-०८.०२.२०२४ को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किये बिना संचालित है तथा उद्योग द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्क्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक-१४.१०.२०२० को इस कार्यालय के पत्र दिनांक-०८.०२.२०२४ द्वारा रिवोक किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स-राजेश भाई पटेल, आराजी नं०-१८०/२, ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर १८५ दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू० ०९,१२,५००.०० (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या १६२ उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-२३१२१६

House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216

Email-rosombhadra@uppcb.in

मेसर्स राजेश भाई पटेल, आ0नं0-180/2, ग्राम-भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H05686/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त उद्योग ग्राम-भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के आराजी संख्या-180/2 पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को-आर्डिनेट्स **25.044763**-अक्षांश एवं **82.974697**-देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्टर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रिट की उत्पादन क्षमता **80,000 टन/वर्ष** सूचित है। उक्त उद्योग संचालन की अवस्था में पाया गया।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर आंशिक कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।



4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्पिंकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्पिंकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख-रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. उद्योग परिसर में मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया। उद्योग परिसर में पूरब दिशा में विण्ड ब्रेकिंग वाल स्थापित नहीं पायी गयी।

*(Handwritten signature)*

क्रमशः 2/पर....

(2)

6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी।
7. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 500 केवीए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
8. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना उद्योग का संचालन में होना सहमति शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जाना प्रदर्शित करता है।
9. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H05686/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
10. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, जो जानबूझकर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की अवहेलना किये जाने का सूचक है।
11. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक-14.10.2020 में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उक्त उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0-106718/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2020 दिनांक-14.10.2020 तथा संदर्भ सं0-106719/UPPCB/Sonebhadra (UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2020 दिनांक-14.10.2020 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक-08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक-23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक-08.02.2024 तक अर्थात् 218 दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष 146 दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 146 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-



क्रमशः 3/पर....

(3)

**Environmental Compensation (EC)** = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).

Where,

**PI=50** (Pollution Index=50 for orange category unit)

**N =146** (No. of days from which the non-compliance has been observed)

**R = 250** (R factor in Rupees)


**S = 0.5** (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)

**LF=1.0** (Location Factor= 1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

$$\begin{aligned} \text{Environmental Compensation(EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \\ &= 50 \times 146 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 \\ &= \text{Rs. 9,12,500/-} (\text{Rs. Nine Lacs twelve thousand five hundred) only} \end{aligned}$$

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स राजेश भाई पटेल, आ0नं0-180/2, ग्राम-भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- H05686/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उपरोक्त गणनानुसार उद्योग पर 146 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु **रु0 9,12,500.00** धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

  
08/02/2024  
(यू0के0 गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी